उपवन की आम सभा बैठक-2007

fnukad%&   03&04 vDVwcj] 2007

LFkku%&   lgHkkxh f'k{k.k dsUn] y[kuÅ

le;%&   10%30 cts izkr% ls 05%30 cts rd

उपवन की साधारण सभा बैठक दिनाँक 03/10/2007 को सहभागी शिक्षण केन्द्र में आयोजित की गयी। बैठक में कुल ....साधारण एवं ....सहायक सदस्य संगठनों की सहभागिता रही। सचिव श्री अशोक भाई ने बैठक में उपस्थित सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया एवं अनुरोध किया कि वे अपना तथा अपनी संस्था के विषय में संक्षिप्त परिचय दें ताकि सभी सदस्य एक दूसरे के बारे में जान लें और बैठक की कार्यवाही सुचारू रूप से चल सके। साथ ही उन्होंने बताया कि इस बैठक में उपवन द्वारा गतवर्ष 2006–07 किये गये कार्यो का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा ताकि सभी सदस्यों को गतवर्ष उपवन द्वारा किये गये कार्यो की जानकारी मिल सकें एवं संबंधित विषयों पर भावी रणनीति बनाने में भी सहायता मिल सकें।

बैठक को सफल एवं प्रभावपूर्ण बनाने के लिए साधारण सभा की बैठक को दो दिवसीय एवं चार सत्रों में सम्पन्न किया गया।

प्रथम दिवस ०३.१०.२००७:-

एडवोकेसी यूनिट द्वारा गतवर्ष हुए कार्यो में मिड–डे–मील योजना, सूचना के अधिकार संबंधी अभियान, मिलेनियम डेवलपमेण्ट कम्पेयन और नीरजा अभियान एवं सोशल ऑडिट अध्ययन का पॉवर प्वाइंट प्रस्तुतिकरण किया गया। साथ ही क्रमिक रूप से प्रस्तुत मुद्दों को लेकर प्रतिभागियों के विचार संकलित किये गयें।

मिड-डे-मील योजना:-

मिड–डे–मील योजना की प्रगति पर प्रकाश डालते हुए श्री अशोक कुमार सिंह ने बताया कि यह योजना 15 अगस्त, 1995 से, देश के 2408 विकास खण्डों में शुरू की गयी। इसके अंतर्गत बच्चों को स्कूल में ही पका हुआ भोजन देने की व्यवस्था है। योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है।

- प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के नामांकन में वृद्धि लाना;
- छात्रों को पूरे समय स्कूलों में बनाये रखना;
- छात्रों के स्वास्थ्य में सुधार लाना; तथा
- सहभोज के माध्यम से सामाजिक सौहार्द विकसित करना रहा है।

अध्ययन की आवश्यकता:-

उपवन एवं सदस्य संगठनों द्वारा समय–समय पर इस योजना के क्रियान्वयन पर सवाल उठायें जातो रहे और मास एवं प्रिंट मीडिया ने भी इस पर गम्भीर प्रश्न खड़े किये थे। दूरदर्शन के कार्यक्रम ''आवाम की आवाज'' में इस स्कूल चलों अभियान की जगह ''अस्पताल चलों अभियान'' तक की संज्ञा दी गयी थी। इन्हीं तथ्यों की दृष्टि से उपवन की एडवोकेसी यूनिट ने मिड–डे–मील योजना का अध्ययन अपने सहयोगी सदस्य संगठनों के साथ मिलकर किया।

अध्ययन के उद्देश्य:-

- योजना के उद्देश्यों में दिये गये मानकों की समीक्षा करना;
- प्रशासनिक व्यवस्था का अध्ययन करना तथा

- योजना के विभिन्न प्रभावों की समीक्षा करना रहा है।

प्रदेश के चार क्षेत्रों से 8 जिलों में सदस्य संगठनों के सहयोग से यह अध्ययन किया गया, जिसमें 80 ग्राम प्रधानों एवं 800 अभिभावकों के संबंधित विषय पर अभिमत लिये गये। अध्ययन में योजना के सफल न होने के पीछे निम्नलिखित समस्या निकलकर सामने आयीः–

उपलब्धियाँः-

- आपेक्षित सफलता न मिलपाने के कारणों में;
- अवस्थापनात्मक कमियाँ (किचन व चारदीवारी का अभाव);
- अपेक्षित सामग्री गैस एवं बर्तनों की कमी;
- खाद्य सामग्री की गुणवत्ता में कमी;
- अभिभावकों द्वारा खाद्य सामग्री की गुणवत्ता में कमी की शिकायतें अध्यापकों से की जाती रही और विकास खण्ड स्तर पर इस योजना के प्रति उदासीनता देखी गयी।

उपलब्धियों के आधार पर सुझावः-

- ग्राम पंचायतों को सम्पूर्ण दायित्व प्रदान किये जाय;
- ईंधन की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करना आवश्यक है;
- नागर समाज संगठनों की सक्रिय भागीदारी होती रहे; तथा
- स्कूल में उपस्थित बच्चों की वास्तविक संख्या के आधार पर खाद्य सामग्री की उपलब्धता की जाय।

उपवन कार्यकारिणी द्वारा 'मिड–डे–मील' कार्यक्रम के अध्ययन से प्राप्त वास्तविकताओं के आधार पर इस कार्यक्रम को व्यवस्थित ढ़ग से लागू करने के लिए सरकार पर दबाव बनाने हेतु आवश्यक माना गया है। इसलिए सामाजिक संगठनों को इसे लेकर जन पैरवी करने की आवश्यकता मानी गयी है। उपवन की अपनी सहयोगी संस्थाओं के माध्यम से मिड–डे–मील योजना के इस क्षेत्रीय अध्ययन की प्रतियाँ प्राथमिक शिक्षा विभाग व संबंधित विभागों, केन्द्र सरकार, फण्डिग ऐजेसी, प्रबुद्ध वर्ग व मीडिया के साथ–साथ अध्ययन गत जनपदों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भेजी गयीं। उपवन सचिव श्री अशोक भाई ने उपरोक्त प्रतिवेदन पर शासन की प्रतिक्रिया से सदस्यों को अवगत कराते हुए बतलाया कि ''उपरोक्त प्रतिवेदन पर प्रमुख सचिव नियोजन विभाग श्री वेंकटाचलम् द्वारा उस प्रतिवेदन की दो पृष्ठ की समीक्षा प्राथमिक शिक्षा विभाग के सचिव डॉ0 गुरदीप सिंह एवं 'मिड–डे–मील प्राधिकरण' के निदेशक श्री कामरान रिजवी को इस आशय से एक पत्र लिखा कि प्रतिवेदन के निसकर्षों एवं संस्तुतियों के आधार पर योजना के प्रभावी क्रियान्वयन् हेतु आवश्यक कार्यवाही अपनायी जाए और इस दिशा में की गयी कार्यवाही से नियोजन विभाग को भी अवगत कराया जाए।''

सदस्यों के अभिमत एवं सुझावः-

उपवन के उपरोक्त प्रतिवेदन सराहनीय है किन्तु इसे और अधिक व्यापक बनाने की आवश्यकता है जिसके लिए अधिकाधिक सदस्य संगठनों को जोड़ना चाहिए जिसे शासन स्तर पर और अधिक जन दबाव बनाया जा सके इसी बात को आगे बढ़ाते हुए श्री .....ने कहा कि हमें क्षेत्रीय समितियों को सक्रिय करने की आवश्यकता है जो कि निरंतर स्कूलों मे भोजन की गुणवत्ता पर नजर रख सके। अभिभावको को भी समय–समय पर स्कूल में उनके बच्चों को दिये जा रहे भोजन की गुणवत्ता की जानकारी भी दी जानी जरूरी है। साथ ही प्रतिवेदन में दी गयी संस्तुति व सुझावों के फॉलोअप भी निरंतर किये जाने की आवश्यकता है।

श्री शैलेन्द्र जी, (लोकमित्र, रायबरेली) मिड–डे–मील योजना को यर्थाथ रूप में सफल बनाने के लिए तीन गतिविधियों का सुझाव दियाः–

- एफ.सी.आई द्वारा प्रदान किये गये अन्न की गुणवत्ता को निरंतर जांच किये जाने की आवश्यकता है;
- कनवर्जन मनी समय से जिला स्तर द्वारा निर्गत होना चाहिए; तथा
- क्षेत्रीय स्तरों पर अभिभावकों का एक मंच होना चाहिए जो कि निरंतर स्कूलों में भोजन की गुणवत्ता की जांच करें।

चूँकि ग्राम पंचायतों को समय से कनवर्जन मनी नहीं मिल पाती इसलिए ग्राम प्रधानों को खाद्यान्न खरीदनें, भंडारण करने का अधिकार मिलने पर बिचौलियों की संख्या कम होगी और पंचायतों को मिड–डे–मील योजना का सम्पूर्ण दायित्व एवं जवाबदेही सुनिश्चित होगा।

श्री कपिलदेव (दलित एक्शन ग्रुप गाजीपुर) ने मिड–डे–मील योजना में छुआ–छूत मिटाने की सफलता पर संदेह व्यक्त करते हुए जमीनी स्तर पर इसे गलत बतायी। उन्होने कहा कि आज भी स्कूलों में सम्पन्न एवं परिवार के बच्चे अपने घरो से जो खाना लाते है स्कूल में बच्चों के साथ मिल बैठकर नहीं खाते। हमें यहां यह देखने की जरूरत है कि जो बच्चे स्कूल का भोजन कर रहे हैं वे गरीब है अथवा एस.सी/एस.टी. से ताल्लुक रखते है? इसलिए आगामी अध्ययनों में उपरोक्त तथ्यों को भी संकलित करने की आवश्यकता है।

श्री आशुतोष दुबे (विध्य प्रतिष्ठान, मिर्जापुर) ने इस योजना को ततकाल प्रभाव से बंद कर देने की आवश्यकता बतलायी क्योंकि बच्चों के बैग में कॉपी किताबों की जगह बर्तनों ने ले किया हैं। बच्चे स्कूल में पढ़ने लिखने के बजाये भोजन करने जाते है। ऐसे में भोजन की गुणवत्ता के साथ–साथ शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने पर जोर देने की आवश्यकता है।

बैठक में उपस्थिति सभी सदस्यों के सुझाव एवं प्रस्ताव को श्री अशोक भाई जी ने यह विश्वास दिलाया कि प्राप्त प्रस्तावों की गंभीरता से विचार कर आगामी अध्ययनों में इन सुझावों को शामिल किया जाएगा। साथ ही, उन्होंने यह कि नीतिनिर्णय स्तर पर पैरवी हेतु सरकार के साथ संवाद कर प्रतिवेदनों का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा ताकि टॉप–टु–बॉटम स्तर पर योजना में सुधार लाया जा सकें।

सूचना का अधिकार-2005

बैठक में द्वितीय प्रस्तुतिकरण सूचना के अधिकार पर सुश्री प्रीती श्रीवास्तव (कार्यक्रम सहकारी) द्वारा किया गया और निम्नांकित उद्देश्यों से सूचना के अधिकार पर जानकारी दी गयी।

सूचना की आवश्यकताः-

- योजनाओं की रचना,
- शासकीय प्रक्रिया के निर्धारण,
- जनसहभागिता बढ़ाने की कार्य योजना,
- जन जवाबदेही का निर्धारण, तथा
- मौलिक अधिकार पर आधारित प्रणाली।

आगे सूचना के अधिकार अधिनियम के उपयोग की औपचारिक प्रक्रिया की जानकारी दी। 24–25 अगस्त, 2006 को एक राज्य स्तरीय कार्यशाला में यह निर्णय लिया गया कि सूचना के अधिकार

को जन जन तक प्रचार करने के लिए उपवन पहल करेगा जिसके लिए उसने जनता जागो जवाब मांगो अभियान चला रखा है। जिसके प्रमुख लक्ष्य समूह निम्नलिखित है

- उपवन के समस्त सदस्य संगठन
- सभी नागर समाज संगठन
- छात्र–छात्राएं व युवक युवतियाँ
- मीडिया इत्यादि।

जनता जागो : जवाब मांगो अभियान का प्रारूप

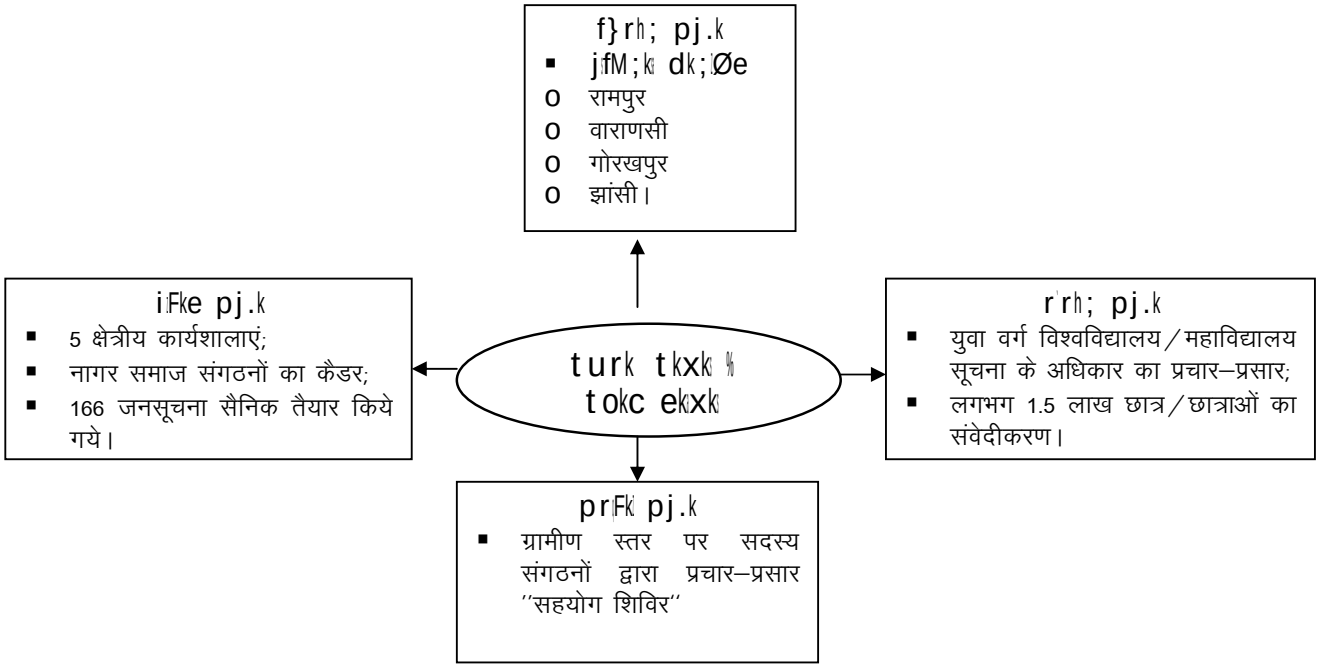

- इस संदर्भ में श्री अनुपम पाण्डेय (कार्यक्रम समन्वयक) ने अभियान के तृतीय चरण हेतु सदस्यों की संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन 05/10/2007 को सहभागी शिक्षण केन्द्र में होना है। इसमें राज्य सूचना आयुक्त भी होंगे जो आप द्वारा उठायी गयी आशंकाओं एवं सवालों के उत्तर देंगे। साथ ही, उन्होंने उपस्थित सभी सदस्यों को सूचना के अधिकार की जानकारी जन जन तक पहुंचाने एवं उसे व्यापक बनाने में सुझाव मांगे।

प्रतिक्रिया व सुझावः-

- सूचना पाने की विभिन्न स्तर पर निर्धारित प्रक्रिया लम्बी है। इसमें भ्रष्टाचार के संकेत मिलने लगे हैं। अतः उपवन इसके लिए पहल करके कुछ ऐसी व्यवस्था करा दे कि इसका उपयोग बढ़ सके जो भ्रष्टाचार की कमी में सहायक हो– vk'krk"k nc
- जागरूकता बढ़ाई जाए जिससे जन–जन तक सूचना के अधिकार के विषय में जानकारी प्राप्त हो इसके लिए उपवन हेल्प लाइन की व्यवस्था करनी चाहिए– Jh vuie ik.M;
- प्रदेश स्तर पर कार्यशालाओं का आयोजन होता रहे– प्रभू कुमार गुप्ता

- उपवन द्वारा रेडियो प्रसारण उपयोगी तो था पर प्रभाव क्षेत्र बहुत कम रहा। सुझाव है कि यदि इन कार्यक्रमों की सीडी बनवाकर सदस्य संगठनों को सशुल्क दी जाय तो संदर्भ स्रोत के रूप में सूचना के अधिकार के प्रचार–प्रसार में उसका उपयोग किया जा सकता है–jkt'k th
- Jh v'kksd Hkkbl द्वारा यह बताया गया कि RTI का उपयोग स्वैच्छिक संगठनों के विरूद्ध भी किया जा सकता है। इसके लिए स्वयं सेवी संगठनों को भी तैयार रहना चाहिए। अपनी कार्यप्रणालियों में पारदर्शिता लानी होगी। इसके लिए एक दो कार्यशाला की जा सकती है, ताकि सदस्य संगठन RTI से संबंधित अपनी भावी रणनीति बना सके।
- उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में एक संस्था को नामित किया जा सकता है, जो सूचना के अधिकार पर लोगो की जागरूकता को बढ़ायें– vfuy dqekj Hkknkfj;k
- जिस प्रकार उपवन द्वारा अनेक दिवसों का आयोजन जन सहभागिता बढ़ाने के लिए किया जाता है उसी तरह सूचना के अधिकार को भी एक दिवस के रूप में मनाये जाने की आवश्यकता है।

सहस्त्राब्दि विकास के घोषित आठ लक्ष्यः-

सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों का विस्तृति प्रस्तुतिकरण सुश्री प्रियंबदा मिश्रा कार्यक्रम अधिकारी ने किया जिसमें निम्न बिन्दु उभर कर आये।

- गरीबी उन्मूलन
- प्राथमिक शिक्षा
- महिला सशक्तिकरण
- बाल मृत्यु दर में कमी
- मातृत्व स्वास्थ्य
- एच.आई.वी. / एड्स, मलेरिया तथा अन्य रोगो का रोकथाम
- पर्यावरण संतुलन
- विकास के लिए भूमण्डलीय सहभागिता।

इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारत में पहल नवम्बर 2004 से ''वादा न तोड़ो अभियान'' के रूप में पहल हुई। उपवन में इसकी शुरूआत अक्टूबर 2005 में 'वादा निभाओं अभियान' के रूप में की गयी और तभी से उपवन अपने सदस्य संगठनों के साथ सम्पूर्ण उ0प्र0 में 14 अगस्त को एक दिवस के रूप में मना रहा है। सभी से प्रतिवर्ष उपवन द्वारा MDG कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित दिवसों का भी आयोजन किया जाता है।

- स्टैण्ड अप इवेण्ट15–16 अक्टूबर, 2006
- नाइन इज माइन जनवरी, 2007
- अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, 2007
- घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 14 मार्च, 2007
- उ0प्र0 सोशल वॉच रिपोर्ट का विमोचन 7 जुलाई, 2007
- वादा निभाओ दिवस 14 अगस्त, 2007
- मीडिया एक्पोजर 14 सितम्बर, 2007
- रणनीति निर्धारण 19 सितम्बर, 2007

सुश्री प्रियंबदा मिश्रा ने बताया कि प्रदेश में MDG की वर्तमान स्थिति ज्ञात करने हेतु विशेषज्ञों द्वारा MDG के विभिन्न लक्ष्यों को ध्यान में रखकर एक प्रतिवेदन तैयार किया है। जिसके प्रमुख बिन्दु निम्नलिखित है।

रिपोर्ट के उद्देश्यः-

- सरकार को विकास हेतु किये गये वायदों को याद दिलाना;
- धरातल पर विकास लक्ष्य पूर्ति की सच्चाई ज्ञात कर सामान्य जन समुदाय को सरकारी गतिविधियों से जोड़ना;
- सामाजिक निगरानी रखने और उस पर समुचित दबाव बनाने हेतु जन सामान्य को संवेदित करना;

रिपोर्ट का फॉलोअपः-

- इस रिपोर्ट को जन पैरवी की प्रक्रिया हेतु इस्तेमाल किया जाएगा;
- अध्ययन से प्राप्त विकास के विभिन्न आयामों का उपयोग सरकार के संबंधित विभाग कर सकें, इस हेतु सामूहिक दबाव की रणनीति अपेक्षित है;
- इस रिपोर्ट से हमारे सदस्य संगठनों को भी मदद मिलेगी कि वे अपने–अपने क्षेत्रों में भी सरकारी तंत्र पर विकास हेतु दबाव बनाये रखे;
- जन पैरवी के लिए उपवन के सदस्य संगठनों तथा मीडिया के माध्यम से इस रिपोर्ट का प्रचार किया जायगा।

इन बातों को और अधिक स्पष्ट करते हुए श्री अशोक भाई ने कहा कि सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यू.एन.एम.सी. ने राष्ट्रीय स्तर पर वादा न तोड़ो अभियान चला रखा है और राज्य सरकारों पर दबाव बनाने के लिए यह अभियान स्थानीय स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में इस योजना का संचालन उपवन द्वारा वादा निभाओ अभियान के रूप में 14 अगस्त को मनाया जाता है। योजना को और अधिक विस्तार देने के लिए 19 सितम्बर, 2007 को यूएनएमसी के डिप्टी डायरेक्टर श्री मीनार पिम्पले के साथ सहभागी शिक्षण केन्द्र में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रदेश में मुद्दा आधारित अभियान मंच के प्रमुख आमंत्रित इसमें यूपी. सोशल वॉच फोरम गठित किया गया जो राज्य स्तरीय फोरम होगा एवं वादा निभाओं अभियान को सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में प्रभावी ढंग से लागू करने में सहायता प्रदान करेगा। जिसे लेकर प्रतिभागी सदस्यों से इस योजना को और अधिक व्यापक बनाने के सुझाव मांगे।

सदस्यों के सुझावः-

- श्री गिरजेश कुमार ने बीपीएल प्रतिवेदन का सार संक्षेप तैयार कर प्रसारित हो तो क्षेत्र में सही/सरल ढंग से जन संवेदीकरण में उपयोगी होगा। इस कथन पर श्री अशोक भाई ने बताया कि इस विषय पर सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य की मध्यावधि समीक्षा प्रतिवेदन प्रकाशित किया गया है, जिसमें सात लक्ष्यों पर विशेषज्ञों द्वारा अलग–अलग अध्याय लिखें गये है। गरीबी एवं अन्य मुद्दों पर वादा निभाओं अभियान के अंतर्गत एक–एक पेज का लीफ्लेट समस्त संस्थाओं को भी प्रेषित किया गया था। साथ ही, स्टैण्डअप इवेंट के लिए जो विषय सामग्री तैयार की गयी इसमें उपरोक्त प्रस्तावों को संज्ञान में रखा गया है।
- जिन सातों मुद्दों की बात हम कर रहे है उन्हें लेकर उत्तर प्रदेश की वर्तमान स्थिति पर भी एक प्रतिवेदन लिखे जाने की आवश्यकता है– श्री जयवीर सिंह

नीरजा अभियान-2005ः-

श्री ओम कुमार, कार्यक्रम सहकारी ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का प्रस्तुतिकरण किया। इस योजना का उद्देश्य ''एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन अकुशल श्रमिक के रूप में प्रत्येक परिवार को रोजगार उपलब्ध कराने के साथ–साथ ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ परिसम्पत्ति का निर्माण करना रहा है।'' साथ ही योजना के निम्नलिखित मुख्य बिन्दुओं को प्रस्तुत किया गयाः–

योजना की विशेषताएंः-

- सभी ग्रामीण परिवार, योजना की परिधि में;
- रोजगार का पंजीकरण ग्राम पंचायत में;
- रोजगार 14 दिन के लिए निरंतर;
- 5 किमी. से अधिक दूरी पर रोजगार मिलने पर श्रमिकों को 10 % अधिक दर से मजदूरी;
- मजदूरी दर 100 रूपये प्रतिदिन (लागू 1 अगस्त, 2007)

यह योजना बहुउद्देशीय एवं अनेक विशेषताओं से युक्त होते हुए भी क्षेत्रीय स्तर पर निस्प्रभावी सिद्ध हो रही है। अध्ययन के दौरान क्षेत्रीय स्तर पर निम्नलिखित समस्याएं देखने को मिलीः–

सामान्य समस्यायेंः-

- योजना का नियोजन, मानक आधार पर नही;
- प्रचार प्रसार की कमी; तथा
- योजना के क्रियान्वयन में गतिरोध;

प्रदेश स्तरीय समस्याएंः-

- राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव;
- प्रदेशिक योजना का देर से गठन; तथा
- कार्यदायी संस्थाओं व अधिकारियों में जानकारी का अभाव होना।

जिला स्तरीय समस्याएः-

- जॉब कार्ड का समय से निर्गत नही;
- योजना के क्रियान्वयन में अस्पष्टता; तथा
- सीमित जाब कार्ड की उपलब्धता।

विकास खण्ड स्तर पर समस्याएंः-

- एक BDO द्वारा कई ब्लॉकों को देखा जाना;
- जाब कार्ड बनाने में समुदाय विशेष को राजनीतिक दृष्टिकोण से लाभ पहुंचाना; तथा
- मस्टर रोल का गलत भरा जाना।

सुधार हेतु प्रतिवेदन के आधार पर सुझावः-

- योजना के विषय में भ्रम निवारण;
- पारदर्शिता एवं जवाबदेही;
- नागर समाज संगठनों का दायित्व;
- सुदृढं संगठनात्क व्यवस्था।

योजना में सुधार हेतु उपवन की पहलः-

- अध्ययन द्वारा वास्तविक स्थिति की जानकारी;
- राज्यस्तरीय कार्यशाला द्वारा संवेदीकरण, तथा

- प्रदेश के 39 जिलों में सदस्य संस्थाओं के लिए कार्याशाला एवं प्रचार–प्रसार सामग्री का व्यापक वितरण।

सोशल आडिटः-

''सोशल आडिट'' कार्यक्रम कार्यान्वयन के प्रति नियोजन एवं कार्यान्वयनकर्ता की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिये जन निगरानी प्रक्रिया एक प्रभावी माध्यम है।

सोशल आडिट पद्धतिः-

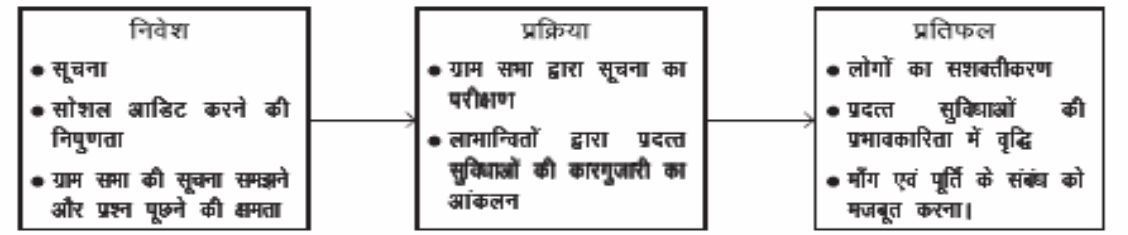

सोशल आडिट के उद्देश्यः-

- विकास के भौतिक एवं वित्तीय संसाधनों की स्थिति का आंकलन;
- हितभागियों में जागरूकता पैदा करना;
- संगठन एवं कर्मियों की कार्यक्षमता वृद्धि हेतु सुविधा उपलब्ध कराना; तथा
- स्थानीय विकास कार्यक्रमों की प्रभावकारिता में सुधार/वृद्धि।

सोशल आडिट के लिए उपयुक्त समयः-

- ग्राम पंचायत स्तर पर योजनाओं की संरचना के दौरान;
- कार्यक्रम क्रियान्वयन में;
- मजदूरी भुगतान के अवसर पर;
- संसाधनों के उपयोग/व्यय के मौके पर;
- कार्यपूर्ण होने के बाद अभिलेखों को अंतिम रूप देते समय।

सोशल आडिट की नजर में ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनाः-

- अभिलेखों की अनुपलब्धता;
- जॉब कार्ड निर्धारित अवधि में उपलब्ध नहीं कराये गये;
- काम मांगने गये श्रमिकों के प्रार्थना पत्र प्रधान ने फेंक दिये;
- मस्टर रोल में गड़बड़ियां करके 74 श्रमिकों के बीच 1.32 रुपये की हेराफेरी
- कार्य स्थल पर किसी प्रकार की सुविधायें नहीं।

सदस्यों के सुझावः-

- जन निगरानी समितियों को सक्रिय करने की आवश्यकता पर जोर दिया जाना चाहिए, जिससे योजना की क्षेत्रीय स्तर पर समुचित निगरानी की जा सके एवं योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार को कम किया जा सके;

- योजना के अंतर्गत दण्ड के प्रावधानों को भी सार्वजनिक करने की जरूरत है;
- कार्यों का वास्तविक नियोजन नही हो पा रहा है, इसलिए योजना में नागर समाज की भूमिका सुनिश्चित होनी चाहिए;
- स्थानीय Local inteligence unit (LIU) मस्टर रोल की निगरानी करें इसके लिए एक मंच का भी गठन किया जा सकता है।
- जॉब कार्ड धारकों को येाजना की सम्पूर्ण जानकारी देनी चाहिए जिससे वे अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें। साथ ही, उन्हे सूचना के अधिकार पर भी संवेदीकरण करने की आवश्यकता है, जिसके आधार पर वे अपने हक के लिए लड़ सकें और योजना का सम्पूर्ण लाभ उठा सकें – श्री मनोज त्रिपाठी
- हर छः महीने में एक खुली बैठक के मामध्य से गत महीनों में किये गये कार्यो की जानकारी समस्त ग्राम सभा के सदस्यों को देनी चाहिए जिससे ग्राम पंचायत द्वारा किये गये कार्यो में पारदर्शिता बनी रहे– श्री अशोक कुमार (दिशा)
- क्षेत्रीय स्तर पर सामान्य रूप में महिलाओं की भागीदारी नगण्य हैं। अतः उपवन को शासन स्तर पर इसकी पैरवी करनी चाहिए। इस योजना में 30 % महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो– श्री महंत राज (जौनपुर)
- मीडिया एवं खण्ड विकास अधिकारी के साथ कार्यशाला करके योजना के विषय में संवेदीकरण आवश्यक– श्री राकेश
- यह मात्र योजना नहीं वरन् ग्रामीण का अधिकार है। इस विषय में लोगों को जानकारी नही है। पुरूषों के साथ–साथ महिलाओं के संवेदीकरण करने की आवश्यकता है। निगरानी समितियों को सक्रिय किये जाने की आवश्यकता है, जो क्षेत्रीय स्तर पर योजना की निगरानी करें। इस कथन पर अपनी सहमति व्यक्त करते हुए श्री अशोक भाई ने कहा, इसके लिए एक सोशल आडिट सशक्त माध्यम हो सकता है, जिसमें ग्रामीण योजना में व्याप्त विसंगतियों पर प्रश्न चिन्ह् खड़ा किया जा सकता है। जब इस योजना की प्रभावशाली सामाजिक निगरानी की व्यवस्था हो जाएगी तो भ्रष्टाचार स्वतः ही कम हो जाएगा। इन्हीं बातों को संज्ञान में रखते हुए उपवन की ओर से जनसुनवाई कार्यक्रम नवम्बर/दिसंबर माह में होना है। इस अवसर पर NREGA से संबंधित जिलों के केसेज एकत्र किये जाने हैं एवं संबंधित मुद्दों पर विस्तृति चर्चा होनी है ताकि विसंगतियों को राष्ट्रीय जनसुनवायी में प्रस्तुत कर उनके निवारण हेतु शासन–प्रशासन पर दबाव बनाया जा सके–श्री गिरीश जी
- NREGA एक्ट योजना नहीं वरन् एक अधिनियम है। इसे सामान्य वर्ग के ग्रामीण अधिकार के रूप में मांग सकते हैं। इसके लिए लोगों को जानकारी देने की आवश्यकता है। सोशल आडिट एक सशक्त माध्यम हो सकता है, जिसमें ग्राम सभा के सदस्य सामाजिक निगरानी की व्यवस्था कर सकते हैं। इसके लिए उपवन द्वारा हर वर्ष स्टेट ट्रबुनल का आयोजन किया जाता है जिसमें सभी जिलों के केसेज को एकत्र करके जजेज़ के सामने प्रस्तुतिकरण किया जाता है।– अशोक भाई

नेटवर्किंग एवं एलायंस बिल्डिंगः-

उपवन के समन्वयक श्री दिवाकर भट्ट ने नेटवर्किग कार्यक्रम को लेकर उपवन में अपनायी जा रहीं नेटवर्किंग की दोनो आंतरिक एवं वाह्य प्रक्रिया का विवरण अलग–अलग प्रस्तुत किया। वर्तमान समय में गरीब वंचित समुदाय के लिए सामाजिक न्याय का माहौल सृजित करने में उपवन स्थानीय जन समुदाय और सरकार के बीच एक कड़ी का काम कर रहा है। जानकारी का संकलन, अभिलेखीकरण और वितरण की दृष्ठि से उपवन की दो पत्रिकाओं की 1000 प्रतियाँ सरकार सहित नागरिक समाज के सभी समूहों के बीव वितरित की जा रही है।

उपवन द्वारा विगत कुछ वर्षों से उसके नियमावली में निरंतर परिवर्तन की प्रक्रिया साधारण सभा द्वारा चलायी गयी जिसके चलते जनतांत्रिक मूल्यों के प्रति निष्ठा में वृद्धि हुई है। खुलापन एवं जवाबदेही इसकी कार्यप्रणाली का अंग बना, जिसके चलते आंतरिक नेटवर्किगं व्यवस्था में मजबूती आयी। उपवन

के 255 सदस्य 54 जिलों से हैं किन्तु 16 जिले अभी भी उपवन की पहुंच से बाहर हैं। यह एक गंभीर चुनौती है इसकी प्रादेशिक छवि को उभारना होगा। उपवन की एडवोकेसी गतिविधियां निश्चित रूप से काफी सक्रिय हैं, लेकिन इन्हें अंतिम स्तर तक ले जाने की आवश्यकता है ताकि व्यापक रूप से समाज में सामाजिक न्याय का एहसास सामान्य जनजीवन को हो सकें। उपवन की सूचना संदर्भ कार्यप्रणाली कही न कहीं एक तरफा कही जाएगी। इसके लिए जरूरी है कि यह प्रक्रिया सदस्य संगठनों की ओर से और उपवन की ओर से साथ–साथ चलाया जाय, तो नेटवर्किंग प्रक्रिया को निरंतरता प्रदान करने में देर नहीं लगेगी।

सदस्यों के सुझावः-

- नेटवर्किंग प्रक्रिया में और अधिक पारदर्शिता लाने की आवश्यकता है। उपवन को इस बात को भी स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि किन परिस्थितियों में साधारण सदस्यों को सहायक सदस्य के रूप में मान्यता की क्या परिस्थितियाँ होती है। इसका मापदण्ड क्या है?
- सदस्य संगठनों के कार्यक्रमों में भी उपवन की सहभागिता होनी चाहिए। इससे सदस्य संगठनों के कार्यक्रमों के विषय में उपवन को भी जानकारी हो सकेगी। इससे निरंतर विचारों का आदान–प्रदान हो सकेगा। इससे नेटवर्किंग की प्रक्रिया को और अधिक बल मिलेगा– श्रीमती सावित्री जी
- जिलों मे संगठन कभी कभी कठिन परिस्थितियों से गुजरते हैं। इन संगठनों की समस्याओं को भी एजेण्डा में रखा जाना चाहिए एवं उपवन को यथा संभव मदद करनी चाहिए।
- यह बहुत दुर्भाग्य का विषय है कि आज करीब 12 वर्ष पूर्ण हो जाने के बाद भी 15 से 16 जिले उपवन की पहुंच से बाहर है। अतः इन जिलों में सक्रिय स्वैच्छिक संगठनों को भी उपवन के सदस्य बनाये जाने की आवश्यकता है। इसके साथ–साथ यह भी ध्यान देने की जरूरत है कि महिलाओं के संगठनों को विशेष रूप से प्राथमिकता दी जाय, जिससे वे भी उपवन के कार्यो में समान रूप से भागीदारी कर सकें।– श्री अशोक भाई

द्वितीय दिवस 04/10/2007

आज सत्र के प्रारम्भ में डॉ0 सी एस व्यास ने सभी आगंतुकों का स्वागत किया। उक्त अवसर पर मीडिया इकाई के अंतर्गत किये गये कार्यो का प्रस्तुतिकरण करने के लिए श्री चन्द्रदेव त्रिवेदी को आमंत्रित किया गया।

उपवन की मीडिया में साझेदारीः-

श्री चन्द्रदेव त्रिवेदी ने उपवन में मीडिया की बढ़ती साझेदारी का प्रस्तुतिकरण करते हुए कहा कि वर्तमान में मीडिया की भूमिका हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मीडिया समाज में पारदर्शिता लाने के साथ साथ स्वैछिक संगठन एवं समस्याओं की सामूहिक आवाज को सरकार एवं जन–जन तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम है। साथ ही, जन मानस को संवेदित करने, संगठित व जागरूक करने एवं जनसहयोग को बढ़ावा दिलाने में उभरे सकारात्मक दृष्टिकोण ने इसकी महत्ता को और भी बढ़ा दिया है। उपवन द्वारा इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपने आधार भूत ढ़ांचे में मीडिया को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। एक राज्यस्तरीय नेटवर्क होने के नाते उपवन की मीडिया में भागेदारी दिनोदिन बढ़ रही है। इसके सहयोगी सदस्य संगठनों द्वारा सरकारी योजनाओं की जमीनी स्तर पर वास्तविक सच्चाई को पता लगाने में खास भूमिका निभाई गयी है।

सामाजिक मुद्दों की एडवोकेसी में मीडिया एक सशक्त माध्यम है। उपवन द्वारा सामयिक मुद्दों एवं सरकारी योजनाओं, जैसे सूचना का अधिकार सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य, मिड–डे–मील, बीपीएल एवं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के समीक्षात्क अध्ययन प्रतिवेदनों के प्रस्तुतिकरण से मीडिया जगत में सरगर्मिया बढ़ी है। क्योकि इन अध्ययन प्रतिवेदनों के माध्यम से जमीनी स्तर पर योजना/कार्यक्रमों की तथ्य परक जानकारी मिल जाती है। इसके आधार पर मीडिया प्रतिनिधि सामाजिक मुद्दों की स्थिति पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते है।

उपवन की वेबसाइटः-

उपवन की वेबसाइट का प्रस्तुतिकरण सुश्री अजिता सिंह द्वारा किया गया। प्रस्तुतिकरण के माध्यम से उपवन की वेबसाइट के नवीनीकरण के साथ–साथ उपवन द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों/प्रतिवेदनों के नेटवर्क पर उपलब्ध होने की बात की। साथ ही, प्रतिभागी सदस्यों को इस बात से अवगत कराया कि वे उपवन के सभी सदस्यों का विवरण उपवन की वेबसाइट www.upvan.org पर प्राप्त कर सकते है।

सदस्यों के सुझावः-

- वेबसाइट को हिन्दी में बनाये जाने की आवश्यकता है। साथ ही, सभी सदस्य संगठनों का कम से कम एक पेज का संस्थागत प्रोफाइल होना चाहिए जिससे अन्य लोगो को भी संस्था एवं उनके द्वारा किये जा रहे कार्यो के विषय में जानकारी प्राप्त हो सके– श्री अशोक भाई
- उपवन को सदस्य संगठनों की वेबसाइट बनाने में मदद करनी चाहिए– श्री अवधेश गौतम
- उपवन की वेबसाइट का निरंतर नवीनीकरण किये जाने की आवश्यकता है साथ ही साथ राष्ट्रीय नीतियों को क्रमिक रूप से उपवन की वेबसाइट पर प्रकाशित करने की आवश्यकता है– श्री दिवाकर भट्ट

खुला सत्रः-

श्री के.एन. तिवारी कोषाध्यक्ष ने खुले सत्र में स्वागत किया। गतवर्ष किये गये कार्यो का विवरण श्री अशोक सिंह, सचिव द्वारा प्रस्तुत किया गया। साथ ही, उन्होंने सदस्यों से आगामी वर्ष के लिए भावी रणनीति बनाने के विषय पर भी चर्चा की।

- एडवोकेसी एवं लॉबिंग कम्पेन बेस प्रोग्राम था जिसमें RTI की क्षेत्रीय कार्यशालायें एवं जनसूचना सैनिकों को तैयार किया गया। साथ ही, आगामी वर्षो में NREGA पर पॉलिसी स्तर पर बातचीत होगी, जिससे इसमें व्याप्त कमियों को सिरे से दूर किया जा सके।
- मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स (MDG) पर एक राज्य स्तरीय समीक्षात्मक अध्ययन किया गया। साथ ही, मिड–डे–मील (MDM) की स्थिति पर अपने सदस्य संगठनों के माध्यम से क्षेत्रीय स्तर पर एक अध्ययन कर प्रतिवेदन तैयार किया गया। प्रतिवेदन को सभी प्रबुद्ध वर्ग, मीडिया, सरकारी विभाग एवं सदस्य संगठनों को भी भेजा गया।
- जिन जिलों में उपवन के सदस्य नहीं हैं उन्हें उपवन की सदस्यता दिलाने के लिए क्षेत्रीय नेटवर्किंग को बढ़ावा दिया गया। फिर भी, सही समय से संबंधित विषय पर सूचना न मिल पाने के कारण 16 जनपद उपवन की पहुंच से बाहर है।
- वाह्य नेटवर्क के द्वारा स्वैच्छिक जगत में प्रभावशाली ढ़ंग से कार्यरत संस्थाओं को भी उपवन के साथ जोड़ने का प्रयास किया गया।

सदस्यों के सुझावः-

- सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से जन–जन तक पहुंचाने की आवयकता है। साथ ही साथ जिले स्तर पर जो विभिन्न समितियाँ बनायी जाती है, उनके सदस्य कौन लोग है? यह देखा गया है प्रायः इन समितियों में स्थानीय संस्थानों के सदस्यों का अभाव होता है। अतः इस मुद्दे पर एडवोकेसी की जाने की आवश्यकता है एवं हमें RTI के आधार पर मुख्य आयुक्त से यह सूचना मांगा जाए कि इन समितियों में कौन लोग कार्य कर रहे है– श्री मुकुट सिंह
- युवा आयोग के गठन की चर्चा सरकार से किये जाने की आवश्यकता है, जिससे युवा वर्ग भी अपने सामाजिक दायित्व को समझे एवं विकास के कार्यो में अपनी सहभागिता को बढ़ाये। साथ ही, सदस्य संस्थाओं को क्षेत्रीय स्तर पर प्रभावशाली ढ़ग से कार्य करने की आवश्यकता है। संस्थाओं

को जोड़ने का प्रयास किये जाने की आवश्यकता है। उन संस्थाओं को चिन्हित किये जाने की आवश्यकता है जो निष्क्रिय हैं और उपवन की गतिविधियों में भाग नहीं लेती है, उन्हें चिन्हित कर निष्कासित किये जाने की आवश्यकता है– श्री मनोज सिंह

- एडवोकेसी यूनिट द्वारा किये गये कार्यो को सही ढ़ग से फॉलोअप किये जाने की आवश्यकता है, जिसे अध्ययन द्वारा निकले निष्कर्षो को पॉलिसी स्तर पर बदलाव लाने के लिए पैरवी की जा सके इसके लिए उपवन को सदस्य संगठनों की मदद लेनी चाहिए– श्री जयवीर सिंह
- आंतरिक नेटवर्क को मजबूत करने के लिए जिन जिलों से उपवन की सदस्यता के लिए आवेदन आते है, उनके बारे में पता करने का दायित्व स्थानीय सदस्य संगठनों को होना चाहिए, जिससे उन्ही संस्थाओं को उपवन की सदस्यता मिले तो वास्तविक रूप में क्षेत्रीय स्तर पर कार्य कर रहें है– श्री जयवीर सिंह
- विकास के नाम पर आज कल किसानों की जमीनों का अधिग्रहण कर लिया जा रहा है। चाहे वह SEZ का मुद्दा हो या सड़क को चौड़ा करने का, हर क्षेत्र में किसानों की उपजाऊ जमीनों को औने–पौने दामों मे सरकार खरीद कर पूजीपतियों को लाभ पहुचा रही है, जिससे किसानों को विस्थापन की एक विकट समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उपवन को इन समस्याओं को ध्यान में रखकर एक अध्ययन किये जाने की आवश्यकता है, इससे किसानों के हितो की रक्षा के लिए सरकार से पैरवी की जा सकेगी– श्री जयवीर सिंह
- जो संस्थाएं क्षेत्रीय स्तर पर प्रभावशाली ढ़ग से कार्य कर रही है उनको उपवन की गतिविधियों में जोड़ने की आवश्यकता है, जिससे आपस में निरंतर विचारों का आदान प्रदान बना रहे जिससे नेटवर्किंग की प्रक्रिया को भी बल मिलेगा– श्रीमती सावित्री राय
- सदस्यता प्रबंधन को ठीक किये जाने की आवश्यकता है– श्री अवधेष जी
- सच्चर समिति के प्रतिवेदन में पश्चिमी उ0प्र0 के 21 जिले शामिल हैं, जिसमें विशेष कर मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं जीविका उपार्जन जैसी बुनियादी समस्याओं की दयनीय स्थिति के विषय में बताया गया इस पर उपवन को इन जिलों को लेकर एक अध्ययन किये जाने की आवश्यकता है– श्री अनीस भाई
- स्वैच्छिक संगठनों की भागीदारी को बढ़ावा दिये जाने की आवश्यकता है, जिससे सूचना के आदान–प्रदान में निरंतरता आ सके और सभी सदस्यों के बीच विभिन्न मुद्दों पर एक समझ विकसित हो सके– डॉ नीलम सिंह
- सभी सदस्य संगठनों को अपने जिलों में सजग रहने की जरूरत है, जिससे कि ज्वलंत सामाजिक मुद्दो का चुनाव करने में मदद मिले। साथ ही, श्री के.एन. तिवारी ने यह भी कहा कि उपवन अपने सदस्य संगठनों को किसी भी प्रकार की फण्ड की व्यवस्था नही करने जा रहा है। उपवन ज्यादा से ज्यादा यह व्यवस्था कर सकता है कि वह एक डायरेक्टरी तैयार कर दे जिसमें सभी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय फंडिग ऐजेसियों का नाम व पता हो जिसे उपवन सचिवालय से सशुल्क मांगे जाने पर प्रदान किया जा सके– श्री केएन तिवारी